

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठरीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

सनमान

रामसाह 57 नन्दराम पाणि मंगलत वनाम 1. अहेन्दू पुत्र नन्दराम पाणि मंगलत नि०  
 दाया बाबत - नि० 57/1/2023 आदि 57/1/2023 आदि  
 मुकदमा नम्बर - 63/23  
 निर्णय दिनांक - 23/5/2023


वादी की ओर से वकील रस. विनोद अग्रवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील

रस. उज्ज्वल शोभा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-05-23 को मुद्रा शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रस. मीजा चंद 3KRP

के खानास० 183/153 के मु०न० 51 के फिता न० 11, 20, 21 मु० न० 52  
 के फिता न० 1511, 1512, 1611, 1612, 25/1, 25/2 मु० न० 75  
 के फिता 511, 512, 6/1, 6/2, मु० न० 76 के फिता न० 1, 2, 9, 10  
 की कुल 3036 हे० जगमात पुत्र रामलक्ष, जेठा पुत्र पेमा, तीखुण  
 पुत्र मुखा, धीरवत पुत्र मुखा डा नाथ इतमजन डिवा जाइर  
 पारीगज स० रामसात पुत्र नन्दराम पारी स० 2 धीरवत पुत्र  
 मुखा डी लक्ष्मी लखर के अनुसार खार्ह वार इतमजर  
 खार्ह डिवा जाहे हैं। यदि भूमि यदि खेड रदन हे हो रदन मुठ  
 होने के बाद उपोम्मा बुझार राजाव रिअर्स इतमजर डिवा  
 जावे। रक्बा वार इतमजर प्रान्त वहन करें।  
 राजीनामा व दावा डी प्रमाणित प्रति में भी डी डी मभाग  
 पत्र जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/5/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 शिखर प्रसादी  
 (अधिवेश अधिकारी)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कैम्प अदालत  
 राजस्व भादरा